

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवान)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा**  
**पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.**

मुकदमा संख्या :- 14/2025

1. रजीराम पुत्र मुखराम जाति सुथार साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. बलराम पुत्र मुखराम जाति सुथार साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

— वादीगण

व नाम

1. ओमप्रकाश पुत्र मुखराम जाति सुथार साकिन गोलूवाला सिहागान तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. माया पत्नी ओमप्रकाश पुत्री मुखराम जाति सुथार साकिन रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. परमेश्वरी पत्नी बाबूलाल पुत्री मुखराम जाति सुथार साकिन रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

वन्दना उर्फ बाधु पत्नी सतपाल पुत्री मुखराम जाति सुथार साकिन 30 एनडीआर अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा।

— प्रतिवादीगण

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188-209 रा.का.अधि.**

दिनांक :- 25-02-2025



वादी की ओर से श्री बलराम सुथार अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री विनोद बिश्नोई अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाती है कि -

1. वादी सं.1 रजीराम को तहसील पीलीबंगा के चक 33 एलएलडब्ल्यू के खाता सं. 11/34 के प.नं. 32/229 व 32/230 की कुल 4.212 हैक्. नहरी मय रास्ता खातेदारी में से वादी सं.2 व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम दर्ज 1/42 - 1/42 हिस्सा व 1/252 - 1/252 हिस्सा का को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है जिसमें से वादी सं. 2 व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम व हिस्सा कल्मजन किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।
2. वादी सं.2 बलराम को तहसील पीलीबंगा के चक 23 जेआरके-ए के खाता सं. 44/45 के प.नं. 25/238 व 26/238 की कुल 4.301 हैक्. नहरी मय खाला रास्ता खातेदारी में वादी सं.1 व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 के नाम 716/30107 - 716/30107 हिस्सा व वादी सं.1 व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की माता रामप्यारी के 716/30107 हिस्सा में वादी सं.1 व प्रतिवादी सं.1 ता 4 को प्राप्त होने वाले हक व हिस्सा की कृषि भूमि का वादी सं.2 बलराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व वादी सं.1 व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 का नाम व हिस्सा कल्मजन किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।



तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि काश्तकार वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की

सहायक कलक्टर एव  
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

